न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 98/2016

1 भैरू सिंह आयु 60 साल पुत्र स्व. श्री रामलाल, जाति अहीर निवासी उरीका तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 केशर पुत्र स्व. रामलाल
2 गांधीराम पुत्र स्व. रामलाल
3 उप पंजीयक अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।
4 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ दावा उनवानी भैरूसिंह बनाम केशर वगै दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 196/2015 निर्णय दिनांक 04.09.2015

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 196/2015 में पारित निर्णय दिनांक 04.09.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्व विचारण न्यायालय के यहां दिनांक 04.09.2015 को एक दावा जमीन हाल खसरा नम्बर 78, 79, 95, 96 व 229 सरहद मौजा उरीका तहत तहसील सूरजगढ़ के बाबत किया। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के उक्त दावा को क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया और मूल दावा सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाया जाने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई। उभयपक्ष को धारा 5 के आवेदन पर सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपील के लिये मियाद कानून से 30 दिन तय है। आवेदक ग्रामीण काश्तकार पेशा व्यक्ति है। दिनांक 04.09.2015 को आवेदक विचारण न्यायालय में दावा पेश करने के लिए अपने अधिवक्ता के पास गया और आवेदक को उनके अधिवक्ता ने यह कहा कि मुकदमें की कार्यवाही में वह स्वयं उपस्थित होकर पेरवी करता रहेगा तथा यह कहा कि आवेदक को हर तारीख पेशी पर आने की जरूरत नहीं है और यह कहा कि आवेदक की उपस्थिति की आवश्यकता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

होगी तो आवेदक को सूचना कर बुलवा लिया जावेगा। आवेदक ने अपने अधिवक्ता की उक्त बातों पर विश्वास कर लिया और दिनांक 04.09.2015 को दावा पर हस्ताक्षर कर आवेदक अपने घर आ गया। आवेदक को विचारण न्यायालय के अधिवक्ता ने कभी भी दावा की प्रगति के बाबत कोई सूचना नहीं दी तो आवेदक जानकारी करने की जिज्ञासा के साथ दिनांक 06.09.2016 को विचारण न्यायालय के यहां अपने वकील से मिला और दावा के बाबत जानकारी चाही तो वकील साहब ने आदेश जैर बहस के बाबत बताया और इस बाबत उलाहना दिया कि उन्होंने आज तक सूचना क्यों नहीं दी तो आवदेक से उनके अधिवक्ता ने कहा कि गलती हो गई। इस प्रकार आवेदक अपने वकील की गलती, लापरवाही व भूल की वजह से समय रहते अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत नही कर सका। आवेदक की कोई भूल, गलती व लापरवाही नहीं रही है। कानून से वकील की गलती, लापरवाही व भूल की सजा मुवक्किल को नहीं दी जानी चाहिए। अपीलान्ट की अपील में मैरिट है। ऐसी स्थिति में आवेदक के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना उचित व न्यायोचित है। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में हुइे देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समाहत किये जाना उचित व न्यायोचित है। दफा 5 कानूनी मियाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। चार दिन का समय अपील तैयार करने मेंल ग गया व नकल दिनांक 06.09.2016 को मिलने के बाद दो दिन का राजकीय अवकाश हो गया। अतः अपीलांट का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मियाद समाहत किया जाने के आदेश दिये जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि धारा 2 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने दावा को सुनने का क्षेत्राधिकार न होना मान कर सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिये लौटाने का आदेश दिनांक 04.09.2015 को दिया इसके करीब 1 साल से भी अधिक समय बाद जानबुझकर लापरवाही से मियाद बाहर अपील पेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

की है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 में अपीलान्ट ने दर्ज किया है कि दिनांक 04.09.2015 को दावा पेश करवाने के लिए विचारण न्यायालय में अपीलान्ट गया। दावा दिनांक 04.09.2015 को ही पेश किया और दावेप र रिपोर्ट लेकर वादी/अपीलान्ट के अभिभाषक को सुन कर दिनांक 04.09.2015 को ही आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट/वादी को आदेश दिनांक 04.09.2015 की जानकारी आदेश के रोज से है। अपीलान्ट/वादी के अनुसार व विचारण न्यायालय में दिनांक 04.09.2015 को दावा पेश करवाने के लिये गया और दावा पेश करवाया। दिनांक 04.09.2015 को ही आदेश पारित किया गया। जिसकी जानकारी अपीलान्ट/वादी को दिनांक 04.09.2015 से है। दिनांक 04.09.2015 को दावा सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिए लौटाने का आदेश पारित हो गया तो अभिभाषक द्वारा पैरवी करने की कहने की आवश्कता ही नहीं रह गई। इस बाबत गलत तथ्य दर्ज किये गये है। दिनांक 04.09.2015 को दावा पेश किया गया तो स्वभाविक है कि पेशी की पुछ कर ही आता व अभिभाषक पर गलत आरोप लगाये है। अपीलान्ट/वादी की स्वयं की गलती व लापरवाही रही है व जानबुझकर अन्दर मियाद पेश नहीं की व अपनी लापरवाही का फायदा अपीलान्ट/वादी नहीं ले सकता। देरी माफ किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र निराधार है। प्रार्थना पत्र में यह भी दर्ज नहीं किया की अपीलान्ट/वादी ने दावे की प्रगती की जानकारी क्यों नहीं ली। जानबुझकर गलत तथ्य दर्ज कर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अपील के लिये मियाद दिनांक 04.09.2015 से 60 दिन थी। मियाद खत्म होने के बाद में मियाद बाहर अपील पेश की गई। इस कारण अपील खारिज होने योग्य है। शपथ पत्र भी विधि सम्मत नहीं है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज कीं जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2019 पेज 685, आरबीजे 2019 पेज 362 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील 1 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। धारा 5 के आवेदन में अपीलांट ने विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं होने का कथन किया है किन्तु विचारण न्यायालय में वाद अपीलांट का ही था। अतः अपीलांट का यह कथन स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)